रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257646
CG-DL-E-03102024-257646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/अश्विन 8, 1946
No. 278] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) - 26/2024

विषय: चिली और चीन से वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/28/2024-डीजीटीआर – दि इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर ऐसासिएशन (जिसे आगे 'आवेदक' या ''आईपीएमए'' भी कहा गया है) ने यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे एडी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है जिसमें चिली और चीन (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक ने आरोप लगाया है कि विषयगत देशों में उत्पन्न या वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है तथा उसने विषयगत देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

1. विचाराधीन उत्पाद सफेद / वर्जिन वुड पल्प, चाहें कोटेड हों या अनकोटेड से निर्मित मल्टी-लेयर बोर्ड है और इसे वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद पेपर की अनेक परतों को एक साथ जोड़कर उनसे निर्मित होता है। विचाराधीन उत्पाद पेड़ों के फाइबर से पल्प द्वारा निर्मित होता है। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में आता है। विचाराधीन उत्पाद में फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी), सॉलिड ब्लीच्ड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस), कप स्टॉक पेपर या बोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड शामिल हैं, ये सभी 140 से 150 जीएसएम की रेंज में हैं। इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों, वर्जिन ग्रेडों जिसे पेड़ों के फाइबर से बनाया जाता है और सभी रिसाइकल्ड ग्रेड जिसे रिकवर पेपर और पेपर बोर्ड से प्राप्त फाइबर से बनाया जाता है, में वर्गीकृत किया जाता है। कोटेड / अनकोटेड सिगरेट बोर्ड और पेपर बोर्ड जो पुन: चक्रित / ब्राउन पल्प या फाइबर से निर्मित हों, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

2. विचाराधीन उत्पाद अधिकांशत: अपनी मजबूती और शुद्धता के कारण पैकेजिंग उद्योग में सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। इसे खाद्य पदार्थ, कास्मेटिक और फार्मा उत्पादों की पैकेजिंग में प्रयोग किया जाता है।

3. सॉलिड ब्लीच्ड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस) पेपर बोर्ड एक उच्च गुणवत्ता का पेपर बोर्ड है जिसे ब्लीच्ड वर्जिन पल्प से बनाया जाता है, तथा जिसे क्ले से कोटेड किया जाता है और उसके बाद नमी से प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए उपचारित किया जाता है। फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी) रासायनिक पल्प की बाहरी परत के बीच में मैकेनिकल पल्प की आंतरिक परत से बना होता है। फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड एसबीएस पेपर बोर्ड की तुलना में कम लकड़ी का प्रयोग करता है। कप स्टॉक ग्रेड का प्रयोग खाद्य मदों के लिए डिस्पोजेबल कप और कप के आकार के कंटेनर को बनाने में प्रयोग होता है। संबद्ध वस्तु के प्रयोग में प्राय: संगत सुरक्षा विनियमों का अनुपालन अपेक्षित है।

4. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 48 के अंतर्गत शीर्ष 4805 और 4810 के अधीन वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद को आईटीसी एचएस कोड 4805 91 00, 4805 92 00, 4805 93 00, 4810 92 00 और 4810 99 00 के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु का आयात 4802 2090, 4802 5790, 4804 1900, 4804 3900, 4804 4200, 4804 5200, 4804 5900, 4805 1900, 4810 1320, 4810 1330, 4810 1390, 4810 1430, 4810 1490, 4810 1910, 4810 1990, 4810 2200,4810 2900, 4810 3100,4810 3200,4810 3990, 4811 5110,4811 5190,4811 5910,4811 5990,4811 9099,4819 1010 और 4819 2090 सहित अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. वर्तमान जांच में पक्षकार इस जांच की शुरूआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी तथा प्रस्तावित पीसीएन यदि को हो, के बारे में अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. संबद्ध देशों से निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु एक समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु में संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु की दृष्टि से तकनीकी विनिर्देशन, भौतिक

और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के अनुसार तुलनीय विशेषताएं हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानीय हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से दि इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर ऐसासिएशन द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित सदस्यों और घरेलू उत्पादकों ने वर्तमान जांच के लिए सूचना प्रदान की है (जिन्हें आगे आवेदक घरेलू उत्पादक कहा गया है) ।

क. सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ख. इमामी पेपर्स मिल्स लिमिटेड

ग. आईटीसी लिमिटेड

घ. जेके पेपर लिमिटेड

ड. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड

8. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक घरेलू उत्पादक संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, आवेदक घरेलू उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

9. आवेदक घरेलू उद्योग के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु का एक अन्य घरेलू उत्पादक अर्थात् वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में एक पत्र प्रस्तुत किया है।

10. उक्त के मद्देनजर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच के बाद प्राधिकारी प्रथमदृष्ट्या नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और वे नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं तथा यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

11. यह आवेदन चिली गणराज्य (चिली) और चीन जनवादी गणराज्य (चीन जन.गण.) से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

ङ. जांच की अवधि

12. आवेदक ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि का जांच अवधि के रूप में प्रस्ताव किया है। क्षति जांच अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी नियमावली पर विचार करते हुए यह जांच अवधि उचित है।

च. कथित पाटन का आधार

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश देना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. से उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली 1995 (एडी नियमावली) के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।

14. अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य को आवेदक घरेलू उत्पादकों की उत्पादन लागत के अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उनके आधार पर निर्धारित किया गया है।

चिली के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने दावा किया है कि उसे चिली में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। चूंकि इस उत्पाद का कोई समर्पित टैरिफ वर्गीकृत नहीं है। इसलिए आवेदक संबद्ध देश में आयातों या संबद्ध देश से निर्यातों की कीमत पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसके अलावा, संबद्ध देश की उत्पादन लागत संबंधी सूचना घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं थी।

16. जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय अर्थात् तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके इसे अनुमानित किया है।

निर्यात कीमत

17. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यात कीमत को आवेदक द्वारा प्रदत्त आयात आंकड़ों पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक कमीशन और ऋण लागत पर विचार किया गया है।

पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करती है कि चिली और चीन से आयातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में चिली और चीन से विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. विभिन्न मापदंडों के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथमदृष्ट्या सूचना उपलब्ध कराई हैं। संबद्ध देशों से आयातों में समग्र तथा सापेक्ष रूप से भारी वृद्धि हुई है जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर है। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास और न्यूनीकरण किया है। इससे लाभप्रदता के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है। घरेलू उद्योग के वित्तीय लाभ और नकद लाभ में क्षति अवधि में गिरावट आई है और उसे नियोजित पूंजी पर कम आय प्राप्त हुई है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा दुगुना हो गया है और घरेलू उद्योग के हिस्से में कम कीमत के आयातों से प्रतिस्पर्धा और अपनी लाभप्रदता से समझौता करने के बावजूद गिरावट आई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच को उचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

21. नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. **सूचना प्रस्तुत करना**

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना और आगे की प्रक्रिया से अवगत रहने के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की सरकारी वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adv11-dgtr@gov.in और consulatant-dgtr@govcontractor.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

30. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और

प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई, जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

34. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और एडी नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

35. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना के संगत पैराग्राफ के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अनुरोधों में दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

36. सार्थक अगापनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे के लिए रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

38. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ङ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।

ढ. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2024

<u>Case No. AD (OI) - 26/2024</u>

<u>Subject: Initiation of anti-dumping investigation into imports of Virgin Multi-layer Paperboard from Chile and China PR.</u>

F. No. 6/28/2024-DGTR.—The Indian Paper Manufacturer Association (hereinafter also referred to as the "applicant" or "IPMA") has filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), in accordance with the Custom Tariff Act 1975, as amended, (hereinafter referred to as the "Act") and Custom Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended, (hereinafter also referred to as the "AD Rules"), for the initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Virgin Multi-layer Paperboard (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration") originating in or exported from Chile and China PR (hereinafter referred to as "subject countries").

The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the product under consideration from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

1. The product under consideration is multi-layer board made of white / virgin wood pulp, whether coated or uncoated, and is also known as Virgin Multi-Layer Paperboard. The product under consideration is made up of multiple layers of paper bonded together. The product under consideration is made up of pulp from fibre of trees. The product under consideration comes in various grades. The product under consideration includes Folding Box Board (FBB), Solid Bleached Sulfate Board (SBS), Cup Stock Paper or Board and Liquid Packaging Board, all in the range of 140 to 450 GSM. These are classified into two main categories, virgin grade which is manufactured from fibre of the trees and recycled grade manufactured from fibres obtained from recovered paper and paperboard. Coated/uncoated cigarette boards and paperboards made out of recycled/brown pulp or fibre are excluded from the scope of the product under consideration.

2. The product under consideration is predominantly used as material in the packaging industry due to its strength and purity. They are used for packing of food, cosmetics and pharma products.

3. Solid Bleached Sulfate Board (SBS) paperboard is a high-quality paperboard made from bleached virgin pulp, which is coated with clay and thereafter treated to ensure resistance to moisture. Folding Box Board (FBB) is made up of an inner layer of mechanical pulp in between outer layers of chemical pulp. Folding Box Board uses less wood as compared to SBS paperboard. Cup stock grade is used to manufacture disposable cups and cup shaped containers for food items. The usage of the subject goods often requires compliance to relevant safety regulations.

4. The product under consideration is classified under Chapter 48 of the Customs Tariff Act, 1975, under the heading 4805 and 4810. The product under consideration is also being imported under the ITC HS Codes 4805 91 00, 4805 92 00, 4805 93 00, 4810 92 00 and 4810 99 00. The applicant has claimed that the subject goods are also being imported under other HS Codes including 4802 2090, 4802 5790, 4804 1900, 4804 3900, 4804 4200, 4804 5200, 4804 5900, 4805 1900, 4810 1320, 4810 1330, 4810 1390, 4810 1430, 4810 1490, 4810 1910, 4810 1990, 4810 2200, 4810 2900, 4810 3100, 4810 3200, 4810 3990, 4811 5110, 4811 5190, 4811 5910, 4811 5990, 4811 9099, 4819 1010 and 4819 2090 The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

5. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

6. The applicant has submitted that, the subject goods exported from the subject countries are identical to the goods produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry have comparable characteristics to the subject goods imported from the subject countries in terms of technical specifications, physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant domestic producers are being treated as 'like article' to the subject goods originating in or exported from the subject countries.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

7. The application has been filed by the Indian Paper Manufacturing Association on behalf of the domestic industry. The following members and domestic producers of the subject goods in India have provided information for the present investigation. (hereinafter referred to as "applicant domestic producers").
   a. Century Textiles and Industries Limited
   b. Emami Papers Mills Limited
   c. ITC Limited
   d. JK Paper Limited
   e. Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited

8. The applicant has submitted that the applicant domestic producers are not related to exporters of subject goods in subject countries or importers of product under consideration in India. Further, the applicant domestic producers have not imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation.

9. Apart from the applicant domestic producers, there is another domestic producer of the subject goods in India, namely, West Coast Paper Mills Limited. West Coast Paper Mills Limited has filed a letter supporting the application filed by the applicant.

10. In view of the above and after examination of the application filed by the applicant, the Authority notes that the applicant domestic producers account for major proportion of total Indian production and constitute 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

D. SUBJECT COUNTRIES

11. The application has been filed in respect of dumped imports of the product under consideration from the Republic of Chile ("Chile") and the People's Republic of China ("China PR").

E. PERIOD OF INVESTIGATION

12. The applicant has proposed 1st April 2023 to 31st March 2024 as the period of investigation. The injury investigation period shall cover the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation. The Authority considers that the period of investigation is appropriate, considering the Anti-Dumping Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal value for China PR

13. The applicant has submitted that China PR must be considered as a non-market economy and the Chinese producers should be directed to demonstrate that the market economy conditions prevail with regards to the production and sale of that product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value must be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules 1995 ("AD Rules").

14. Therefore, for the purpose of the present initiation, the Authority has determined normal value for China PR based on price payable in India. The normal value has been determined based on the estimates of cost of production of the applicant domestic producers duly adjusted for selling, general and administrative expenses, along with reasonable profit margin. The normal value methodology claimed by the applicant has been considered for the purpose of initiation.

Normal value for Chile

15. The applicant has claimed that it did not have access to information regarding the domestic selling price prevailing in Chile. Since there is no dedicated tariff classification for the product, the applicant could not rely upon price of imports into the subject country or exports from the subject country. Further, information with regard to cost of production in the subject country was not available to the domestic industry.

16. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value for Chile estimated based on cost of production of the applicant domestic producers duly adjusted for selling, general and administrative expenses along with a reasonable profit margin.

Export Price

17. The export price of the subject goods from the subject countries has been determined by considering the import data provided by the applicant. Price adjustments have been made on account of port expenses, inland freight, ocean freight, marine insurance, bank commission & credit cost to arrive at the net export price.

Dumping margin

18. The normal value and the export prices have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de-minimis* level with respect to the subject goods imported from Chile and China. Thus, there is sufficient *prima facie*

evidence that the product under consideration from Chile and China is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSLA LINK

19. Information furnished by the applicant, with regard to various parameters, has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has provided information with respect to the injury suffered by the domestic industry because of dumped imports. There has been a significant increase in imports from subject countries in absolute and relative terms, at prices below cost of sales of the domestic industry. The applicant has claimed that the imports has suppressed and depressed the prices of the domestic industry. This has adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of profitability. The financial profits and cash profits of the domestic industry have declined over the injury period and it has earned a low return on capital employed. The market share of the subject imports has doubled and that of the domestic industry has declined despite competing with the low import prices and compromising on its profitably. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries justifying initiation of an anti-dumping investigation.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

20. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicant and on being satisfied based on the *prima facie* evidence submitted therein, concerning the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

21. Principles as given in Rule 6 of the Rules shall be followed for the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

23. The known producers/exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India who are

known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

26. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

29. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

30. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

31. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

32. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to show a good cause along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

33. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out, where indexation is not possible, and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed in the submissions, within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraph of this initiation notification.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is not satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of public file

39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

40. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA
NATH YADAVA